प्रेस विज्ञप्ति

पटना, 01 अक्तूबर – भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा एवं श्री राजीव कुमार ने बिहार में 28 अक्तूबर से होने वाले विधान सभा चुनाव–2020 को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए 29 सितम्बर से 01 अक्तूबर को बैठक ली। बैठकों के दौरान आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों एवं सुझावों पर संज्ञान लिया। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री एच.आर. श्रीनिवासन, पुलिस नोडल अधिकारियों, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक पुलिस बल के अधिकारियों के साथ चुनाव के लिए की जा रही सभी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण एवं कोरोना में सुरक्षित चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक के दौरान आयोग द्वारा तीन पुस्ताकों का विमोचन किया गया। चुनाव जागरूकता के सम्बन्ध में आम निर्वाचन 2020 के लिए व्यापक स्वीप प्लान सभी के लिए सुगम चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए PwD Action Plan और कोविड–19 के दौरान बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के लिए विस्तृत दिशा निर्देश।

चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्तों, प्रमंडल आयुक्तों तथा रेंज अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की। बाद में बिहार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक, श्री एस०के० सिंघल, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी चुनाव तैयारियों को लेकर किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लिया। आयोग ने चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे, मादक पदार्थ, शराब और उपहार वितरण के दुरूपयोग को रोकने की नीति बनाने के लिए आयकर, आबकारी, वाणिज्यिक कर विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की।

राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों में प्रमुख रहे –

1. कई राजनीतिक दलों ने आयोग से आग्रह किया कि कोविड काल में चुनाव के दौरान समाजिक दूरी और अन्य एहतियाती कदमों की व्यापक व्यवस्था जो चुनाव आयोग ने की है, उसके संबंध में मतदाताओं को भी पर्याप्त और समुचित जानकारी दी जाय।

2. कोविड गाईडलाइंस के विषय में चर्चा करते हुए राजनीतिक दलों ने आशंका व्यक्त की कि उम्मीवारों के Door to Door Campaign तथा चुनावी रैली के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक भीड़ जुटने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता और उसका खामियाजा उम्मीदवार को ही न भरना पड़े।

3. पोस्टल बैलेट के विषय में कुछ राजनीतिक दलों का कहना था कि वृद्व और दिव्यांगजन मतदाता Returning Officer तक समय से अपना आवेदन पहुँचा पाएं, इसके लिए कोई सुविधा उन्हें घर पर ही दी जानी चाहिए।

4. कुछ राजनीतिक दलों ने इस बात पर स्पष्टता मांगी कि क्या प्रत्यक्ष चुनाव अभियान की इजाजत होगी या नही। एक दल ने यह भी कहा की ऐसे चिन्हित स्थानों की सूची जहॉ रैली आयोजित हो सकती है, सभी दलों को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, मतदाताओं की सूची भी Physical form में दिलवाई जाए।

5. Online Nomination and Rally Permission की सरहाना करते हुए उन्होनें चाहा कि RO Office तक दूर न जाना पड़े।

6. Photo Voter Slips का आवंटन समय रहते हो जाए।

सभी राजनीतिक दलों को सुनकर, आयोग ने उन्हे आश्वासन दिया और अपने अधिकारियों की बैठक में उचित निर्देश भी दिए। भारत निर्वाचन आयोग राज्य में सुरक्षित में सुरक्षित, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने को विशेष महत्व देता है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों से जोर देकर कहा है, कि कोविड काल में चुनाव के दौरान सामाजिक दूरी और एहतियाती कदमों की जो व्यापक व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है, उसके संबंध में मतदाताओं को भी पर्याप्त और समुचित जानकारी, विभिन्न माध्यमों से दी जाए।

आयोग ने राज्य की चुनावी मशीनरी को निर्देश दिए कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रभावी निगरानी और सतर्कता बरती जाए तथा प्रत्येक स्तर पर राजनीतिक दलों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। सभी हितधारकों में पूर्ण विश्वास पैदा करने के लिए गहन कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मतदाताओं को बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।

आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए है। इस संबंध में राज्य की आवश्यकता और मांग के मद्देनजर अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदान किए गए हैं। सीमावर्ती जिलों को इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखने के आदेश दे दिए गए हैं।

अधिकारियों को खर्चो (एक्सपैंडिचर) वाले अत्यंत संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान और प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां जरूरत होगी Special Expenditure Observer भी भेजे जाएंगे। 28 जिलों में 91 व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र (Expenditure Sensitive Constituencies) चिन्हित की गई है।

पोस्टल बैलट के विषय में आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कहा है कि इस बात की व्यापक जानकारी सभी को दी जाए, कि जो अस्सी वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांगजन मतदाता, इसका प्रयोग करना चाहते है, उनके घर से BLO ही आवेदन लेकर, Returning Officer तक पहुँचाएगें। इस दिशा–निर्देश की प्रति सभी को दी जा रही हैं।

इस बार आयोग ने 15 तरह की अनिवार्य सेवाओं जैसे Electricity Department, BSNL, Railways, Post & Telegram, Doordarshan, All India Radio, COMFED & Related Milk Co-Operatives & Units, Health Department Bihar in Connection with COVID-19, Food Corporation of India, Aviation, Long Distance Government Road Transport Corporation, Fire Services, Traffic, Ambulance Services & Media Persons Authorized by ECI poll day coverage में कार्यरत मतदताओं के लिए भी Postal Ballot की सुविधा उपलब्ध कराई हैं।

निर्धारित मानदंडो के अनुसार, आयोग द्वारा चुनावों कि गहन निष्पक्ष निगरानी के लिए जनरल पर्यवेक्षक, व्यय पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक और माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं।

Covid के मद्देनजर, Covid-19 Positive patients who are quarantined will be able to cast their vote at the last hour of the poll day at their respective polling stations, under the supervision of health authorities, strictly following COVID-19 related

preventive measures. This besides the option of postal ballot facility already granted to them.

Nodal Health officers have been appointed at the state/district/constituency level to oversee all Covid 19 related arrangements and preventive measures during the entire electoral process.

In order to further decongest polling spaces and allow more free movement of the voters, polling time has been increased by one hour. Polling will now be held from 7 am to 6 pm instead of 7am to 5pm earlier. However timings for polling in LWE areas will be 7 am to 4 pm.

Nomination form and Affidavit may now be filled up online and print out submitted to the RO. Besides, security money can be deposited through online mode. Candidates can also seek elector certification digitally.

The number of persons accompanying a candidate for submission of Nomination has been restricted to two (2) and the number of vehicles shall also be restricted to two (2).

Door to door campaigning has been restricted to five persons including the candidate. Road shows are allowed subject to the convoy being broken after every five vehicles. All election meeting and gatherings will have to adhere to strict health and safety protocols and shall be closely monitored by the elections and health machinery in the field. क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने physical and not just virtual rallies की बात की, I would like to reiterate that physical rallies are very much an option just that the number of people who can congregate at a certain place has to be limited. The DEOs have identified dedicated grounds in advance where public gatherings can take place, with social distancing norms clearly marked to ensure the safety of the attendees. CEO को निर्देश दिया गया है कि चिन्हित रैली ग्राउड की जानकारी मुख्य अखबारों में छपवा दें।

आयोग के संज्ञान में है कि हाल के समय में सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरूपयोग एक नई समस्या बन गया है। यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति या संस्था सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया का दुरूपयोग कर रहे है, उनसे सख्ती से निपटा जाए। जैसा की मैंने 25th September की दिल्ली की प्रेस वार्ता में भी कहा – जो भी चुनावी लाभ की दृष्टि से नफरत फैलाने, या धार्मिक तनाव बढ़ाने जैसी किसी शरारत के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करेगा, उसे परिणाम भुगतान पड़ेगा।

Systematic Voter's Education and Electoral Practices (SVEEP) focus this time shall be on Safe election and covid 19 safety awareness programmes besides increasing voter turnout and ethical and informed decision making by the voters.

Chief Election Commissioner Shri Sunil Arora reiterated that Commission is committed to conduct free fair and transparent elections. Commission has instructed the State and District Election machinery to ensure Covid norms are followed and the officers function fearlessly, impartially and independently. Shri Arora urged all political party representatives, Media organizations, Civil Society organizations, Youth & all Electors to extend their support to Election

Commission of India so that Elections to Bihar 2020 Legislative Assembly can be conducted with their active participation.

CEC Shri Arora emphasized that ECI's decision to conduct Elections in Bihar is not a leap in the dark, but a leap of faith.